२।५८-२५ (1)

/ /

109

न्यायालय में:-माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

रामस्वरूप पिता स्व0 सुफल तेली निवासी ग्राम भमरहा तहसील मानपुर

जिला उमरिया म0प्र0········ निगरानीकर्ता-

बनाम II/निगरानी/उमरिया/भू.रा/2017/4285

1- म0प्र0 शासन

2-फत्तेलाल पिता स्व0 सुफल तेली सा0 भमरहा तहसील ~~अमरिया~~ मानपुर

जिला उमरिया म0प्र0

3-बैसखिया बेबा सुफल तेली निवासी भमरहा तहसील मानपुर जिला उमरिया

4-मुन्नी पुत्री सुफल तेली पत्नी विश्वनाथ साहू निवासी सकरिया तहसील

गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0।

5-ननबईया पुत्री स्व0 सुफल तेलीपत्नी नन्दलाल साहू निवासी सकरिया तहसील

गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0।

6-लल्ली पुत्री स्व0 सुफल तेलीपति गणेश साहू निवासी बुढ़ार तहसील मानपुर

जिला उमरिया म0प्र0······ ····निगराकार-

डाक से प्राप्त
6-11-17

26 OCT 20

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला उमरिया

के मामला क्रमांक 50/स्व0 निगरानी/2014-15

पारित आदेश दिनांक 21·9·17

धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण-

यह कि भूमि ख0नं0 687/1 रकबा 0·607है0 ग्राम भमरहा, तहसील मानपुर जिला उमरिया स्थित भूमि म0प्र0 शासन की भूमि थी जिस पर निगरानीकर्ता के पिता स्व0 सुफल तेली का पुस्तैनी कब्जा था चूंकि निगरानीकर्ता के पिताकेपास कोई भूमि न होने के कारण तथा भूमि हीन होने के कारण उपरोक्त आराजी का व्यवस्थापन वर्ष 1984 प्रावधानों के अनुसार जरिये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/4285 रामस्वरूप विरूद्ध म.प्र.शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 50/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस	

आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य